भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3921

जिसका उत्तर 12 दिसंबर, 2019 को दिया जाना है।

.....

पीएमकेएसवाई का वाटरशेड विकास घटक

3921. श्री डी. एम. कथीर आनन्द:

क्या **जल शक्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 'प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई)' का वाटरशेड विकास घटक तमिलनाडु के जिलों में शुरू किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) इस संबंध में तमिलनाडु सरकार से प्राप्त और केन्द्र सरकार के पास लंबित प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त परियोजनाओं को राज्य में कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

उत्तर

जल शक्ति और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री (श्री रतन लाल कटारिया)

(क) से (ग) भूमि संसाधन विभाग ने वर्ष 2009-10 से 2014-15 के दौरान तमिलनाडु में 270 वाटरशेड विकास परियोजनाएं मंजूर की हैं, जिनके तहत 1643.91 करोड रूपए की लागत पर लगभग 13.68 लाख हेक्टेयर क्षेत्र शामिल हैं। पूर्ववर्ती एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम को वर्ष 2015-16 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के वाटर शेड विकास घटक (डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई) के रूप में एकीकृत कर दिया गया था। तमिलनाडु को वाटरशेड विक परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए 30.11.2019 तक केन्द्रीय हिस्से के रूप में 924.94 करोड रूपए की धन राशि जारी की गई है।

परियोजना को पूरा करने की मानक अवधि 4 से 7 वर्ष होती है, जिसमें 1 से 2 वर्ष तैयार चरण, 2 से 3 वर्ष निर्माण चरण और 1 से 2 वर्ष चरणों को समेकित करने की अवधि शामिल होती है। तमिलनाडु में मंजूर की गई 270 परियोजनाओं में से 64 निर्माण चरण में हैं और 34 परियोजनाएं समेकन चरण में हैं और 112 परियोजनाएं पूरी हो गई हैं।

सरकार, सभी निमार्णाधीन परियोजनाओं को पूरा करने पर ध्यान दे रही है, इसलिए तमिलनाडु, सहित किसी राज्य की कोई नई परियोजनाएं पीएमकेएसवाई-डब्ल्यूडीसी के तहत मंजूर नहीं की जा रही हैं।

******